ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति दुरंपता देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति सुमना कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द	01.04.14 से 20.10.16
2	श्री अश्वनी कुमार	21.10.16 से 13.12.16
3	श्री सुरेन्द्र कुमार	14.12.16 से 25.02.17
4	श्री अश्वनी कुमार	26.02.17 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	पैरा-4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	1.50
3	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.29

4	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	36.80
5	पैरा-7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	-
6	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक /स्टोर का क्रय करना	-
7	पैरा-9	खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-
8	पैरा-10	निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना	-

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 31.05.17 से 03.06.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	09/2014
2015-16	05/2015	06/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 388 दिनांक 03.06.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 208246 (PNB) दिनांक 14.06.17 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत करोट, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत करोट, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	588598	98970	687568	37488	650080
2015-16	650080	95182	745262	28761	716501
2016-17	716501	85113	801614	32105	769509

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत करोट, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	512742	1505540	2018282	1275230	743052
2015-16	743052	1737812	2480864	1206517	1274347
2016-17	1274347	3346853	4621200	941225	3679975

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹769509

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹3679975

कुल अन्तिम शेष ₹4449484

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹4448769

हस्तगत राशि : ₹715

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) PNB-42175	931076.69
GEN. (A) PNB-42500	768793.78
13th & 14th FC, PNB-42494	2748898.69
MNREGA, PNB-30790	0
कुल राशि	**4448769.16**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत करोट की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए

पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.3 बैंक में जमा ₹1.50 लाख का लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹149596 जमा थे एवं इन खातों का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इन खातों से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इन खातों के रख-रखाव के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इन खातों में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन खातों को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इनका रख-रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इनमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके। खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	दिनांक 31.03.17 को जमा राशि
KCCB- Sujanpur 20042045499 (Water shed)	90799
KCCB- Sujanpur 20042045488 (Water shed)	58797

5 पंचायत राजस्व ₹0.29 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में गृहकर एवं किराये के रूप में वसूली हेतु ₹29390 की राशि शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹29390 की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	22200	22200	21060	1140
2015-16	1140	22650	23790	21630	2160
2016-17	2160	22980	25140	21450	3690

2. किराया : (दुकान)

वर्ष	अथशेष	किराये की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	700	1200	1900	900	1000
2015-16	1000	1200	2200	900	1300
2016-17	1300	2800	4100	2400	1700

3. मोबाइल टावर फीस :-

वर्ष	अथशेष	किराये की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2014-15	0	5000	5000	0	5000
2015-16	5000	13000	18000	18000	0
2016-17	0	13000	13000	5000	8000

(i) जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में कुल 6 मोबाइल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूल की गई थी, जिसमें से 2 टावर एयरटेल मोबाइल कंपनी के थे जो कि अंकेक्षण अवधि के पूर्व अवधि में स्थापित किए गए थे तथा ऐसा प्रतीत होता है कि शेष 4 टावर वर्ष 2015 में स्थापित किए गए थे क्योंकि इन 4 टावरों की नवीनीकरण फीस वर्ष 2015 से वसूली जा रही है । लेकिन जांच में पाया कि इन 4 रिलायंस कंपनी के टावरों की स्थापना फीस नहीं वसूली गई थी । अतः उक्त 4 टावरों की स्थापना की अवधि एवं प्राप्त स्थापना फीस से अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन 4 टावरों की स्थापना फीस ₹16000 (4000x4) की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

6 **अनुदान ₹ 36.80 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹3679975 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

क्र॰सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2016-17	नि. दो कमरे प्रथम तल, GSSS Karot
		Mnrega

2	2014-15	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक रविन्द्र कुमार के घर के साथ गाँव बढ़ई
3	2014-15	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक ध्यान सिंह के घर के साथ गाँव बढ़ई

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्र॰सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	4 दिनांक 17.04.14	Bill No. - Dated -, M/s Virendra Kumar	निर्माण सामग्री	26000.00	मु. लिंक रोड रेटैनिंग वाल चाट गलू से मन्दिर तक गाँव निहारी बूहली
2	13 दिनांक 23.05.14	Bill No. - Dated -, M/s Virendra Kumar	निर्माण सामग्री	17000.00	-do-
3	56 दिनांक 01.01.15	Bill No. 794 Dated 15.12.14, M/s JP Enterprises	स्टील	20915.00	नि. कोच वे बलेड़ू नाला
4	11 दिनांक 09.06.15	Bill No. 200 Dated 17.05.15, M/s Riya printing press	Printing work	3370.00	-
5	18 दिनांक 24.06.15	Bill No. 314 Dated 20.06.15, M/s Dhanraj Steel Work	एंगल	33000.00	नि. वायर फ़ैन्सिंग गाँव पौड़िया
6	58 दिनांक 24.03.17	Bill No. 36 Dated 09.03.17, M/s Sharma Bros	ईंटें	20000.00	नि. दो कमरे प्रथम तल, GSSS Karot
7	59 दिनांक 24.03.17	Bill No. - Dated -, M/s Sharma Bros	ईंटें	20000.00	-do-
	MNREGA				

8	33 दिनांक 03.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Virendra Kumar	निर्माण सामग्री	9000.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक पृथ्वी चन्द के घर के साथ गाँव बढ़ई
9	34 दिनांक 03.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Virendra Kumar	निर्माण सामग्री	3000.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक रविन्द्र कुमार के घर के साथ गाँव बढ़ई
10	35 दिनांक 03.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Virendra Kumar	निर्माण सामग्री	6000.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक ध्यान सिंह के घर के साथ गाँव बढ़ई
11	3 दिनांक 26.06.15	Bill No. 6 Dated 20.08.14, M/s Sharma Bros	निर्माण सामग्री	12000.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक पंकज कुमार के घर के साथ गाँव करोट
12	4 दिनांक 26.06.15	Bill No. - Dated 25.09.14, M/s JP Enterprises	स्टील	7588.00	-do-
13	6 दिनांक 26.06.15	Bill No. 8 Dated 22.08.14, M/s Sharma Bros	ईंटें	13965.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक प्रीति देवी के घर के साथ गाँव करोट
14	9 दिनांक 26.06.15	Bill No. 211 Dated 01.05.14, M/s Sharma Bros	ईंटें	23275.00	नि. वर्षा जल संग्रहण टैंक नजदीक प्रदीप कुमार के घर के साथ गाँव पौड़िया

9 खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रौत) में

अन्तरित किया जाना अपेक्षित था । लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः पूर्व में खाता "ख" अनुदान पर अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें ।

10 **निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-**

" **नि. कोच वे बलेडू नाला :** जांच में पाया कि इस कार्य के परिमाप की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में न करके मूल्यांकन रजिस्टर में की गई थी । अतः प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में न करने का औचित्य स्पष्ट करें। उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	**सीमेंट की अपेक्षित मात्रा**	**बजरी की अपेक्षित मात्रा**	**रेत की अपेक्षित मात्रा**
P/L C:C 1:4:8, 14.88 CUM	14.88 X 3.40 = 51 बैग	14.88 X 0.89 = 13.24 CUM OR 467 CFT	14.88 X 0.47 = 6.99 CUM OR 246 CFT
P/L C:C 1:2:4, 128.76 CUM	128.76X 6.40 = 824 बैग	128.76 X 0.89 =114.60 CUM OR 4046 CFT	128.76 X 0.445 = 57.29 CUM OR 2023 CFT
कुल अपेक्षित खपत	875 बैग	4513 CFT	2269 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 875 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 300 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था एवं बजरी व रेत की अपेक्षित खपत लगभग 6782 CFT के स्थान पर केवल 4450 CFT की गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

11 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।
5. 13वें वित आयोग से क्रय सामग्री के रख-रखाव से संबन्धित भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. मोबाइल टावर रजिस्टर का रख-रखाव न करना ।

7. दुकानों के किराये के रजिस्टर का रख-रखाव न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)18/2017–खण्ड–1–5665–5668–दिनाँक,16.09.17
शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत करोट, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046